अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 495(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2016 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरणपोषण) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "पशु कल्याण संगठन" से भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संगठन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाए गए, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की

स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन किसी जिले में स्थापित पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी भी है ;

(ग) "मवेशी" से कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सांड, गाय, भैंस, बछवा, कलोर और ब्याना आते हैं और जिसके अंतर्गत ऊंटिनी भी है ;

(घ) "पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;

(ड.) "राज्य बोर्ड" से राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य में गठित राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(च) "यान" से सड़क पर उपयोग के लिए संनिर्मित या अनुकूलित कोई यान (जिसके अंतर्गत किसी भी भांति का कोई ट्रेलर या किसी यान से विलग्न बाडी भी है) अभिप्रेत है ;

(छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उस अधिनियम में उनके हैं ।

3. मुकदमा लंबित रहने के दौरान पशुओं की अभिरक्षा – जब किसी पशु का अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन अभिग्रहण किया जाता है, तो-

(क) पशु को अभिगृहीत करने वाला प्राधिकारी, ऐसे पशु के स्वास्थ्य निरीक्षण, पहचान और चिह्नांकन को उस क्षेत्र के सरकारी पशु चिकित्सा अस्पताल में तैनात अधिकारिता रखने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करेगा और चिह्नांकन कर्ण टैग द्वारा या चिप द्वारा या कम कष्टप्रद किसी विकसित प्रौद्योगिकी द्वारा किया जा सकेगा किन्तु तप्त छाप, शीत छाप या किसी अन्य हानिकारक छाप द्वारा चिह्नांकन प्रतिषिद्ध होगा ;

(ख) मजिस्ट्रेट मुकदमें के लंबित रहने के दौरान पशु को किसी रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला में रखने का निदेश दे सकेगा ।

4. **मुकदमा लंबित रहने के दौरान पशु की देखरेख और रखने की लागत-** (1) राज्य बोर्ड इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस मास के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ऐसे पशु की, जो राज्य में सामान्यत: अभिगृहीत किए जाते हैं, प्रत्येक प्रजाति के लिए प्रतिदिन परिवहन, भरणपोषण और उपचार की लागत विनिर्दिष्ट करेगी ।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गई दरों को, अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत पशुओं के परिवहन, भरणपोषण, उपचार के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम दरों के रूप में उपयोग करेगा ।

(3) उस दशा में जब विचाराधीन पशु राज्य बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट दर सूची पर नहीं है, जिला मजिस्ट्रेट पशुओं के परिवहन, उपचार और भरणपोषण की लागत, अधिकारिता रखने वाले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर नियत करेगा ।

5. बंधपत्र का निष्पादन- (1) मजिस्ट्रेट, पशु को किसी रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन, या गोशाला को अभिरक्षा सौंपते समय वह रकम अवधारित करेगा जो अधिकारिता वाले पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पशु के परिवहन, भरणपोषण और उपचार के लिए उपगत या उपगत की जाने के लिए प्रत्याशित समस्त युक्तियुक्त लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और अभियुक्त तथा स्वामी को अवधारित मूल्य का बंधपत्र प्रतिभुओं सहित तीन दिन के भीतर निष्पादित करने का निदेश देगा और यदि अभियुक्त तथा स्वामी बंधपत्र निष्पादित नहीं करते हैं तो पशु, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन, गोशाला को समपहृत हो जाएगा ।

(2) पशु की अभिरक्षा रखने वाला रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पाक्षिक आधार पर बंधपत्र से पशु की अभिरक्षा प्राप्त करने की तारीख से उसके अंतिम व्ययन की तारीख तक पशु की देखरेख में उपगत वास्तविक युक्तियुक्त लागत का आहरण कर सकेगा ।

(3) मजिस्ट्रेट, अभियुक्त और स्वामी से प्रारंभिक बंधपत्र की रकम का अस्सी प्रतिशत पशु की देखरेख की लागत में खर्च हो जाने पर प्रतिभुओं सहित अतिरिक्त बंधपत्र निष्पादित करने की मांग करेगा ।

(4) जहां अपराध में कोई यान अंतवर्लित है वहां मजिस्ट्रेट यान को प्रतिभुओं के रूप में रखने का निदेश देगा ।

(5) पशु को परिवहन से संबंधित अपराध की दशा में यान का स्वामी, परेषक, परेषिती, परिवाहक, अभिकर्ता और सभी अन्य सम्मिलित पक्षकार संयुक्तत: और पृथकत: पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(6) उस दशा में जहां पशु का स्वामित्व किसी निगमित निकाय के पास है, वहां निगमित निकाय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अध्यक्ष या उच्चतम रैंक का कर्मचारी, निगमित निकाय और अभियुक्त संयुक्तत: और पृथकत: पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(7) उस दशा में जहां पशु का स्वामित्व सरकार के पास है वहां विभागाध्यक्ष और अभियुक्त संयुक्तत: और पृथकत: पशुओं के परिवहन, उपचार और देखरेख की लागत के दायी होंगे ।

(8) यदि स्वामी और अभियुक्त के पास बंधपत्र देने के साधन नहीं हैं तो मजिस्ट्रेट स्थानीय प्राधिकरण को अंतर्वलित लागत का जिम्मा लेने और उसे भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने का निदेश देगा ।

6. **परित्यक्त पशु-** (1) उस दशा में जहां अन्वेषक अधिकारी यह रिपोर्ट फाइल करता है कि प्रथम दृष्टया अधिनियम के अधीन अपराध पाया गया है किंतु वह अभियुक्त या पशु के स्वामी का अवधारण करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट स्थानीय प्राधिकरण को अंतर्वलित लागत का जिम्मा लेने का निदेश देगा और यह समझा जाएगा कि स्वामी ने पशु के स्वामित्व का त्याग कर दिया है ।

(2) स्वामित्व का त्याग अज्ञात अपराधी या स्वामी के विरुद्ध किन्हीं दांडिक आरोपों को प्रभावित नहीं करेगा ।

7. **स्वैच्छिक त्याग-** इस नियम की किसी बात का अर्थ ऐसे स्वामी द्वारा, जो अभियुक्त है, किसी पशु को बंधपत्र के निष्पादन के बदले रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए पशु कल्याण संगठन या गोशाला को स्वैच्छिक और स्थायी त्याग करने से रोकना नहीं होगा किंतु स्वैच्छिक और स्थायी त्याग, अभियुक्त या स्वामी के विरुद्ध किंही दांडिक आरोपों को प्रभावित नहीं करेगा ।

8. **मुकदमें के निपटारे पर पशु की प्रास्थिति-** (1) यदि अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाता है या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है तो मजिस्ट्रेट उसे पशुओं के स्वामित्व से वंचित कर देगा और अभिगृहीत पशु को पहले से ही अभिरक्षा रखने वाले रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को उचित दत्तक ग्रहण या अन्य प्रकार से व्ययन के लिए समपहृत कर देगा ।

(2) यदि अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त पाया जाता है तो अभिगृहीत पशु अभियुक्त या स्वामी को लौटा दिया जाएगा तथा निष्पादित किसी बंधपत्र की रकम का अप्रयुक्त भाग उस व्यक्ति को लौटा दिया जाएगा, जिसने बंधपत्र निष्पादित किया था ।

9. **दत्तक ग्रहण या अन्य प्रकार से व्ययन की प्रक्रिया- (1)** मुकदमे के दौरान या मुकदमें के पश्चात् पशु की अभिरक्षा रखने वाला रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला अधिनियम की धारा 13 के अनुसार उसकी अभिरक्षा में के पशु को सहज मृत्यु दे सकेगा ।

(2) जहां पशु को, यथास्थिति, दोषसिद्धि, परित्याग या स्वैच्छिक त्याग के पश्चात् रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को समपहृत कर दिया गया है वहां पशु को दत्तक ग्रहण के लिए रख दिया जाएगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी मवेशी परिरक्षण विधि के अधीन आरोपित है, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला से पशु को दत्तक ग्रहण में लेने से प्रतिषिद्ध होगा ।

(4) रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पशु को दत्तक ग्रहण में देने से पहले,-

(क) मवेशी की दशा में शपथ पत्र के रूप में यह वचनबंध लेगा कि पशु को दत्तक ग्रहण में कृषि प्रयोजनों के लिए न कि वध के लिए लिया गया है और सुसंगत राजस्व दस्तावेज देखकर यह सत्यापित करेगा कि पशु का दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति एक कृषक है ।

(ख) भार ढोने वाले और लद्दू पशुओं की दशा में शपथ पत्र के रूप में यह वचनबंध लेगा कि पशुओं को दत्तक ग्रहण में भार ढोने और लादने के प्रयोजनों के लिए न कि वध के लिए लिया गया है ।

(ग) कुत्तों और बिल्लियों की दशा में यह सुनिश्चित करेगा कि दत्तक ग्रहण में देने से पहले पशु को अंडाशय उच्छेदित और नपुंसक कर दिया गया है ।

(घ) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति का नाम और पते का अभिलेख रखेगा और पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति का पहचान का सबूत और पते का सबूत उपाप्त करेगा ।

(ड.) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति से शपथ पत्र के रूप में यह घोषणा अभिप्राप्त करेगा कि वह पशु का दत्तक ग्रहण की तारीख से छह मास तक अन्य संक्रामण नहीं करेगा और उसके परिवहन के लिए अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विरचित नियमों का पालन करेगा और पशु की नियमित पशु चिकित्सा जांच करवाएगा ।

(5) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाला व्यक्ति-

(क) पशु को नहीं बेचेगा;

(ख) पशु का परित्याग नहीं करेगा;

(ग) राज्य मवेशी संरक्षण और परिरक्षण विधि का अनुसरण करेगा;

(घ) किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की बलि नहीं देगा;

(ड.) राज्य मवेशी संरक्षण और परिरक्षण विधि के अनुसार अनुज्ञा के बिना राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को मवेशी को नहीं बेचेगा ।

(6) जहां किसी मवेशी या किसी भार ढोने वाले और लद्दू पशु को दत्तक ग्रहण में लिया गया है वहां रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला के परिसरों से उसको ले जाए जाने से पहले पांच प्रतियों में दत्तक ग्रहण का सबूत जारी करेगा जिसमें से पहली प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति को, दूसरी प्रति, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला को, तीसरी प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति के निवास के तहसील कार्यालय को, चौथी प्रति पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति के जिला कार्यालय को दी जाएगी तथा अंतिम प्रति केस फाइल में फाइल किए जाने के लिए न्यायालय को भेज दी जाएगी।

(7) पशु का दत्तक ग्रहण, पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाले व्यक्ति को अप्रतिसंहरणीय अधिकार नहीं देगा और, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला समय समय पर पशु का निरीक्षण कर सकेगा तथा यह पाए जाने की दशा में कि वह व्यक्ति जिसने पशु को दत्तक ग्रहण में लिया था, पर्याप्त देखरेख नहीं कर रहा है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिनियम या किसी पशु परिरक्षण विधि के अधीन अपराध किया जाना प्रत्याशित है तो, यथास्थिति, रुग्णावास, पिंजरापोल, एसपीसीए, पशु कल्याण संगठन या गोशाला पशु का कब्जे में ले लेंगे।

(8) पशु को दत्तक ग्रहण में लेने वाला व्यक्ति पशु का केवल विधिपूर्ण संरक्षक होगा और उसे ऐसे अधिकार नहीं होंगे जो पशु के स्वामी को साधारणतया प्रदान किए जाते हैं किंतु उसका ऐसे पशु के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे पशु को अनावश्यक पीड़ा या यातना दिए जाने के निवारण के लिए सभी उत्तरदायी उपाय करने का कर्तव्य होगा।

[फा. सं. 1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव